संख्या-88/2025/।/923529/2025/71-1001/137/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनॉक 30 मार्च, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2024-25/707, दिनांक 24.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क हेतु अवशेष धनराशि रू0 67.98 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-256/2018/4194/71-1-2018-जी-110/2018, दिनॉक 27-09-2018 बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित संशोधित लागत रू0 1339.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति द्वारा प्रदान की गई है। उक्त संशोधित लागत रू0 1339.77 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-201/2018/2493/71-1-2018-जी-110/2018, दिनॉक 11-07-2018 द्वारा रू0 498.28 लाख, शासनादेश संख्या-33/2019/299/71-1-19-जी-54/2018टी0सी0, दिनॉक 06-03-2019 द्वारा रू0 161.94 लाख, शासनादेश संख्या-1823/71-1-19-जी-110/2018, दिनॉक 21-06-2019 द्वारा रू0 523.20 लाख तथा शासनादेश संख्या-9/2020/284/71-1-2020-जी-110/2018, दिनॉक 13.02.2020 द्वारा रू0 88.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 1271.79 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। परियोजना हेतु रू0 67.98 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क हेतु संशोधित आकलित लागत रू0 1339.77 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एंव संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एंव इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेतु मानक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मद-24-वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग (बी0एम0-9 संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध धनराशि से प्रश्नगत कार्य की अवशेष धनराशि **रू0 67.98 लाख (रू0 सरसठ लाख अट्ठानवे लाख मात्र)** अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

4. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जायेगी।

6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

7. परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-256/2018/4194/71-1-2018-जी-110/2018, दिनॉक 27-09-2018 में उल्लिखित शेष शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 67,98,000 (रुपये सड़सठ लाख अट्ठानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
6. प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।